

कार्यालय

द्वितीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राविण/परिषद/सम्बद्धता/2021/3587

आवक: तिथि:- 09/09/2021

कार्यालय कार्य:-

द्वितीय प्राविधिक तकनीकी शिक्षा परिषद, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के अधीन आने वाले 30 प्रौद्योगिकी, लखनऊ द्वारा वैश्विक स्तर पर 2021-22 हेतु द्वितीय तकनीकी शिक्षा परिषद की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा 4 नए पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ परीक्षा अथवा वृद्धि सहित अन्य स्टाफ पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्थाओं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 पर लखनऊ द्वारा सम्बद्धता/ पूर्ण से सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने हेतु अनुमोदित करने की अपील पाठ्यक्रम एवं उनसे अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2284- T. M. BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0टी0ई0/ पी0ई0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	50
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP	30	30

सम्बद्धता हेतु करें

- ✓ संस्था ए0आई0टी0ई0/पी0ई0आई0 द्वारा प्रस्तावित की गयी सभी ए0आई0 का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1882 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमों की 1982, सेक्टर विनियमों की 2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रु० 30150.00/- अतिरिक्त, दो वषीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०

₹5000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों को तृतीय पार्षदी पाठ्यक्रम के प्रतिष्ठितों हेतु ₹22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क को वार्षिक छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों से शुल्क को संतुष्ट करने का कार्य-समय पर समस्त द्वारा निर्गत किया जाने का अनुरोध किया जाता है। और अनुसूचित जाति छात्रों को आरक्षण द्वारा भी शिक्षा निर्धारण समिति द्वारा बट्टी सन 2021-22 हेतु फंड का पुनर्निर्धारण किया जाता है। जो फंड की न्यूनतम दर जानूँगी।

- ✓ संस्था को (5000) प्राथमिक शिक्षा परिषदों तथा इन समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाता। विनियमन-2010 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिजल्ट सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की प्रक्रियाओं को करेगा।
- ✓ संस्था को उत्तर-प्रदेश पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सहायता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एनएचपीसी/एनडीपीसी/एनडीआरए से आयोगी सन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि, निर्देशिकाओं, नॉन-फंडेड शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च प्रवेश बनाये गये नियमों विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्ली में इन पार्षदी पाठ्यक्रम की सहाय्य यदि, पी.सी.आई. सड़ दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहने हेतु इन संबंध में सरकार द्वारा दिये गए संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध बाध किया जाता है तथा बाध के संबंध में भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की शीटों/निर्देशों आदेश निर्गत किया जाता है तो संसत्त प्रतिवृत्ति संबंधित सहाय्य को करनी होगी।
- ✓ दिल्ली में इन पार्षदी पाठ्यक्रम संवाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीसी/एनडीपीसी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था संस्था स्तर पर शीट प्रवेश, अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं को संस्था के प्रतिष्ठापक पृष्ठ पर, स्टाफ, साधक-संस्था, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध बनाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ शैक्षणिक चीजों के सम्बन्ध में सरकार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवाहित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन, भूमि-पत्र, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किया गया अन्य पाठ्यक्रम के संवाहित से प्रवेश किया जाता है और परिषद का इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसत्त संस्था को समझना होगा। बिना जाने की अनुमति को आवेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरे/बट्टी संस्था में भूमि, जल, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधक-संस्था।

एडमिशन/सीटिंग/पीपीआई/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों के अनुपालन न किये जाने कारण शर्तों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव

पूडनगर- ज्योतिषपरिषद सम्बद्धता/2021/3535-4809

दिनांक: 08/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्यनिदेशक। T M, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव

बाराबर,

संवि. शैक्षणिक विद्या परिषद

इस संवि. संसद

संख्या - शैक्षणिक परिषद संख्या 262/2023/17

संख्या- दिनांक- 26/08/2023

-आशुतम सार-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय महाविद्यालय इंजीनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु विद्यार्थी स्वीयरिंग तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन पत्र भिज जाने के उपरान्त शैक्षणिक विद्या परिषद, उत्तराखण्ड ने सम्बद्ध संस्थान विद्यालय पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 के संवि. संसद के द्वारा संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विद्यालय पत्र भिजवाया गया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है।

संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु संस्थानों को अनुमोदन पत्र भिजवाया है।

संस्था का पता एवं नाम : 2254-INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW, NH-24, MAMPUR BANA, BANSHI KA TALAB, SITAPUR ROAD, LUCKNOW

क्र.सं.	पठ्यक्रम का नाम	संवि. संख्या- 262/2023/17 के अंतर्गत वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	संवि. संख्या- 262/2023/17 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ARCHITECTURAL ASSISTANT SHIP	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

संस्थानों हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था संवि. संख्या- 262/2023/17 के अंतर्गत वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 के अंतर्गत वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन पत्र भिजवाया है।
- ✓ संस्था उत्तराखण्ड शैक्षणिक विद्या परिषद संख्या 262/2023/17 के अंतर्गत वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 के अंतर्गत वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन पत्र भिजवाया है।
- ✓ संस्था की संस्था का पता एवं नाम : 2254-INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW, NH-24, MAMPUR BANA, BANSHI KA TALAB, SITAPUR ROAD, LUCKNOW
- ✓ संस्था को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 के अंतर्गत वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन पत्र भिजवाया है।
- ✓ संस्था को अनुमोदन पत्र भिजवाया है। संवि. संख्या- 262/2023/17 के अंतर्गत वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन पत्र भिजवाया है।

(Signature)

कार्यालय

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

तखनक- दिनांक: 12-09-2023

आर्षीय रूप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्ण से सम्बद्धता विस्तार स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुसूचित विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुसूचित विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसूचित में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निर्मांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उसका आंकित प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का पता एवं नाम : 2254 INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW, KH-24, MAMPUR BANA, BAKSHI KA TALAB, SITAPUR ROAD, LUCKNOW

क्र.सं.	सम्बद्धता का नाम	संस्था द्वारा 2021-22 हेतु अनुसूचित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुसूचित प्रवेश संख्या
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING	30	30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक उत्तर प्रदेश सरकार के पता संख्या 2111/अ-2023/8/2023 दिनांक- दिनांक 15 मई 2023 द्वारा पूर्ण से सम्बद्धता संस्थानों की ओर से विषय सम्बद्धता प्रस्तावक से संश्लिष्ट विवरण संख्या 532/2023 में नानवीय न्यायालय में अखिल शिक्षा परिषद के अधीन सम्बद्धता निहित की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के आदेश के अनुसार संस्थान में समस्त प्राविधिक शिक्षा सत्र, सत्र सम्बद्धता में दे दे सम्बद्धता है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली निर्दिष्ट संस्थाओं से सम्बद्धता विवरण संख्या 532/2023 तथा अन्य-सम्बद्धता विवरण आदेशों के अनुसार संस्था द्वारा सम्बद्धता विवरण संख्या 532/2023 में निर्धारित शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

